जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज
फोन नं0– 06156–224767
Email-ID:- ddc-gopalganj-bih@nic.in

पत्रांक........................../अभि0
दिनांक............./......./2020

–: आदेश :–

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उचकागांव ने अपने पत्रांक 243 दिनांक 05.03.2020 एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ ने अपने पत्रांक 1737 दिनांक 31.08.2019 द्वारा मो0 शमशाद आलम, लेखा सहायक (ग्रामीण आवास), प्रखण्ड–हथुआ एवं उचकागांव, जिला–गोपालगंज का संविदा रद्द करने की अनुशंसा करते हुए उनपर निम्नलिखित आरोप गठित किया गया है :–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही एवं असहयोगात्मक कृत्य।
2. वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना।
3. इनके द्वारा Accountant Login से FTO Sign. बनाकर Verify नहीं करना।
4. बिना किसी सूचना के मोबाईल बंद कर प्रखण्ड कार्यालय से भाग जाना।

मो0 शमशाद आलम, लेखा सहायक (ग्रामीण आवास), प्रखण्ड–हथुआ एवं उचकागांव, जिला–गोपालगंज के विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उचकागांव ने अपने पत्रांक 805 दिनांक 21.07.2018 द्वारा कार्यो में लापरवाही के कारण इनके अनुबंध रद्द करने की अनुशंसा किया गया है। पुनः मो0 आलम के विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ ने अपने पत्रांक 1205 दिनांक 21.07.2018 द्वारा असहयोगात्मक कृत्य, कार्य में लापरवाही, कार्य में रुचि नहीं लेने, आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता के लिए इनका अनुबंध रद्द करने की अनुशंसा किया गया है। उक्त अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 899 दिनांक 25.07.2018 द्वारा मो0 आलम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। इसी बीच में मो0 आलम ने दिनांक 23.07.2018 को अपने वरीय पदाधिकारी (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ एवं उचकागांव) पर मानसिक प्रताड़ना एवं गलत दबाव का आरोप लगाते हुए त्याग–पत्र समर्पित किया गया। पुनः मो0 आलम ने अपने स्पष्टीकरण में अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताते हुए नियमानुसार पुनः कार्य करने हेतु अनुरोध किया गया है।

तदोपरान्त उपरोक्त परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्रांक 999 दिनांक 09.08.2018, पत्रांक 1163 दिनांक 30.08.2018, पत्रांक 2057 दिनांक 31.12.2018, पत्रांक 128 दिनांक 30.01.2019, पत्रांक 331 दिनांक 25.03.2019 एवं पत्रांक 704 दिनांक 17.07.2019 द्वारा मो0 आलम के आलम एवं उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ एवं उचकागांव) के विरुद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ को निदेश दिया गया। जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ ने पत्रांक 501/सी0 दिनांक 27.06.2019 द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है। जिसमें उन्होने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ एवं उचकागांव द्वारा मो0 आलम के विरुद्ध कार्यवाही को विधि–सम्मत बताया गया है एवं मो0 आलम के द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ एवं उचकागांव) पर लगाया गया आरोप सहीं नहीं है।

अतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ एवं उचकागांव द्वारा उपरोक्त वर्णित आरोपों एवं अनुशंसा के आलोक में, अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि मो0 शमशाद आलम, लेखा सहायक (ग्रामीण आवास), प्रखण्ड–हथुआ एवं उचकागांव, जिला–गोपालगंज द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी (प्रखण्ड विकास

पदाधिकारी, हथुआ एवं उचकागांव) के आदेश की अवहेलना/कार्य में लापरवाही/असहयोगात्मक कृत्य/दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है।

अतः मो० शमशाद आलम, लेखा सहायक (ग्रामीण आवास), प्रखण्ड–हथुआ एवं उचकागांव, जिला–गोपालगंज का अनुबंध दिनांक 21.07.2018 के प्रभाव से रद्द करते हुए उन्हें चयन मुक्त किया जाता है। यदि वें चाहें तो रद्द आदेश के विरुद्ध अपील जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष अनुबंध रद्द आदेश पारित किये जाने के तिथि से तीन माह के अन्दर कर सकते हैं।

(सज्जन आर०)
उप विकास आयुक्त,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 268 / दिनांक 16.5.20 /

प्रतिलिपि :– मो० शमशाद आलम, लेखा सहायक (ग्रामीण आवास), प्रखण्ड–हथुआ एवं उचकागांव, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ एवं उचकागावं को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र का तामिला संबंधित कर्मी को अपने स्तर से कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा उनसे संबधित प्रभार यथा–मोबाईल, अभिलेख/संचिका, पंजी आदि प्रभार प्राप्त कर सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया को सूचित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, गोपालगंज को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० डायरेक्टर, बी०आर०डी०एस०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० डायरेक्टर, बी०आर०डी०एस०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(सज्जन आर०)
उप विकास आयुक्त,
गोपालगंज।